



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2017/ ज्येष्ठ 2, 1939

No. 396]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2017/ JYAISTHA 2, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2017

सा.का.नि. 494(अ).—पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2016 का प्रारूप, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 34(अ), तारीख 16 जनवरी, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उनके द्वारा प्रभावित होना संभाव्य था, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 16 जनवरी, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 38 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुधन बाजार विनियमन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) अभिप्रेत है ;

(ख) "पशु बाजार" से कोई बाजार स्थल या विक्रय बाड़ा या कोई अन्य परिसर या स्थान अभिप्रेत है, जहां पर पशुओं को अन्य स्थानों से लाया जाता है और बिक्री/नीलामी के लिए प्रदर्शित किया जाता है और इसके अंतर्गत किसी बाजार या किसी वधशाला और इसके संबंध में प्रयुक्त स्थान से पार्श्वस्थ कोई मांड भी है और यानों की पार्किंग के लिए बाजार में आगन्तुकों द्वारा पार्किंग क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त बाजार के पार्श्वस्थ कोई स्थान है तथा इसके अंतर्गत पशु मेला और पशु कांजी हौज भी हैं, जहां पर पशुओं को विक्रय/नीलामी के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किया जाता है ;

(ग) “पशु बाजार समिति” से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई ऐसी समिति अभिप्रेत है, जो किसी बाजार की मरम्मत के लिए या वहां पर नियत प्रसुविधाओं की व्यवस्था के लिए और व्यापार किए जाने वाले पशुओं के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(घ) “बछड़ा” से छह मास की आयु से कम का कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है ;

(ङ.) “मवेशी” से कोई गोजातीय पशु अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत सांड, बैल, गाय, भैंस, बछवा, कलोर और व्याना आते हैं और जिसके अंतर्गत ऊटिनी भी है ;

(च) “उदंड पशु” से ऐसा पशु अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्य पशुओं को क्षति कारित करना संभाव्य है ;

(छ) “निरीक्षक” से राज्य बोर्ड द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निरीक्षक के रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और जब पशुपालन विभाग द्वारा नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रयुक्त किया जाए, तो इसके अंतर्गत पशु चिकित्सा निरीक्षक भी है ;

(ज) “कुक्कुट” से घरेलू मुर्गा, पीरू, हंस, बतख, गिनि मुर्गा के जीवित पक्षी अभिप्रेत हैं ;

(झ) “प्रतिषिद्ध व्यवसाय” से ऐसे व्यवसाय अभिप्रेत हैं, जो पशुओं के लिए अपहानिकर हैं और जो अनावश्यक पीड़ा और यातना कारक हैं ;

(‘) “पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटी (एसपीसीए)” से पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अधीन स्थापित एसपीसीए अभिप्रेत है ;

(ट) “राज्य बोर्ड” से राज्य पशु कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ठ) “अयोग्य” के अंतर्गत ऐसे पशु आते हैं, जो अल्पवय हैं, विकसित गर्भावस्था में, शिथिलांग, मृतक, रुग्ण, आहत या थका हुआ है, में आते हैं ;

(ड) “यान” से सड़क पर उपयोग के लिए संनिर्मित और अनुकूलित कोई यान (जिसके अंतर्गत किसी भी भांति का कोई ट्रेलर या किसी यान से विलग्न बाडी भी है) और जो प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पशुओं को ले जाने के लिए सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है, अभिप्रेत है ;

(ढ) “पशु चिकित्सा निरीक्षक” से किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सक अभिप्रेत है ;

(ण) “अल्पवय पशु” से छह मास की आयु से कम का कोई पशु अभिप्रेत है ;

(त) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम में उनके हैं ।

3. जिला पशु बाजार मानीटरी समिति का गठन- (1) यथास्थिति, जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट राज्य बोर्ड के परामर्श से जिले में पशु बाजारों के विनियमन के लिए पशु बाजार मानीटरी समिति गठित करेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) जिला कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट -- अध्यक्ष ;

(ख) मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी – सदस्य सचिव ;

(ग) अधिकारिता वाला प्रभागीय वन अधिकारी ;

(घ) अधिकारिता वाला पुलिस अधीक्षक ;

(ङ.) एसपीसीए का कोई प्रतिनिधि ;

(च) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पशु कल्याण संगठन से दो प्रतिनिधि ।

(3) समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति चार सदस्यों से होगी ।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी पशु परिरक्षण विधि के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, समिति का सदस्य बनने से प्रतिषिद्ध होगा और पशु बाजार के विनियमन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

4. पशु बाजार समिति का गठन- (1) स्थानीय प्राधिकरण, जिला कलक्टर और राज्य बोर्ड के परामर्श से जिले में पशु बाजारों के प्रबंध के लिए पशु बाजार समिति गठित करेगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

- (क) स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष -- अध्यक्ष ;
- (ख) मुख्य नगरपालिक अधिकारी या स्थानीय प्राधिकरण का मुख्य अधिकारी – सदस्य सचिव ;
- (ग) अधिकारिता वाला तहसीलदार– सदस्य ;
- (घ) अधिकारिता वाला वन खंड अधिकारी– सदस्य ;
- (ङ.) अधिकारिता वाला पशु चिकित्सा अधिकारी– सदस्य ;
- (च) अधिकारिता वाला पुलिस निरीक्षक – सदस्य;
- (छ) एसपीसीए का कोई प्रतिनिधि– सदस्य ;
- (ज) बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त या राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित पशु कल्याण संगठन से दो प्रतिनिधि– सदस्य।

(3) समिति के अधिवेशन की गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी मवेशी परिरक्षण विधि के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, समिति का सदस्य बनने से प्रतिषिद्ध होगा और पशु बाजार के विनियमन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(5) सदस्य सचिव इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

5. विद्यमान पशु बाजारों का रजिस्ट्रीकरण- (1) स्थानीय प्राधिकरण, इन नियमों के प्रारंभ से पहले क्रियाशील पशु बाजारों की सूची बनाएगा।

(2) इन नियमों के प्रारंभ से पहले क्रियाशील प्रत्येक बाजार ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीन मास के भीतर जिला पशु बाजार मानीटरी समिति के पास समिति को आवेदन करके स्वयं को रजिस्टर करेंगे।

6. नए पशु बाजारों की स्थापना- (1) जब स्थानीय प्राधिकरण अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पशु बाजार को स्थापित करना उचित और आवश्यक समझती है, तो वह किसी उपयुक्त स्थान की पहचान करेगी और बाजार का एक ब्लू प्रिंट तैयार करेगी।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति बाजार के ब्लू प्रिंट का अनुमोदन कर सकेगी या उसके और उपांतरण की मांग कर सकेगी या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से प्रस्ताव को नामंजूर कर सकेगी।

(3) प्रत्येक नया बाजार रजिस्ट्रीकरण के लिए जिला पशु बाजार मानीटरी समिति को आवेदन करेगा।

7. जिला पशु बाजार मानीटरी समिति के कृत्य--

(1) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से पहले और बाजार को चालू करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में इन नियमों में यथा नियत सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में समुचित-

- (i) आवास ;
- (ii) आड. ;
- (iii) चारा द्रोणिकाएं, अनेक नलों और बाल्टियों सहित पानी की टंकियां ;
- (iv) प्रकाश ;
- (v) यानों के समुचित ऊंचाई तक ढलान ;
- (vi) बीमार और शिथिलांग पशुओं के लिए पृथक् बाड़े ;
- (vii) अल्पवय और गर्भवती पशुओं के लिए पृथक् बाड़े ;
- (viii) पशु चिकित्सा प्रसुविधा ;
- (ix) चारा भंडारण क्षेत्र और चारे का प्रदाय ;

- (x) जल प्रदाय ;
- (xi) शौचघर ;
- (xii) बिना फिसलन वाली फर्श ;
- (xiii) बाजार स्थल से मृत पशुओं के समुचित व्ययन की व्यवस्था ;
- (xiv) स्वच्छता, पशु बाजार स्थल से खाद और जैव अपशिष्ट के समुचित व्ययन की व्यवस्था
- (xv) घोड़ों के लोटने के लिए रेत का गड्ढा ;
- (xvi) पशुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए पृथक् बाड़े,

हैं।

(3) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति पशु बाजार की अधिकतम जमाव क्षमता अवधारित करेगी और उसे उक्त बाजार के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(4) जिला पशु बाजार समिति रजिस्ट्रीकरण प्रदान करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी, जो वह इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे।

(5) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति लेखबद्ध किए जाने वालों कारणों से रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को नामंजूर कर सकेगी और उस दशा में पशु बाजार ऐसी नामंजूरी की तारीख से अस्तित्वहीन हो जाएगा।

(6) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का निपटारा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर करेगी।

(7) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि व्यापारी और क्रेता इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन के संबंध में बनाए गए नियमों का पालन करे।

8. सीमा क्षेत्रों में पशु बाजारों के बारे में रखी जाने वाली अतिरिक्त पूर्वावधानियां -- जिला पशु बाजार मानीटरी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि किसी भी ऐसे स्थान में पशु बाजार आयोजित नहीं किया जाए, जो किसी भी राज्य सीमा से पचास किलोमीटर के भीतर स्थित है या जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सौ किलोमीटर के भीतर स्थित है।

9. पशु बाजार के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण- यदि जिला पशु बाजार मानीटरी समिति स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कोई बाजार इन नियमों के उल्लंघन में क्रियाशील है, तो वह सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे बाजार के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का निदेश दे सकेगी।

10. राज्य बोर्ड की निदेश जारी करने, इत्यादि की शक्ति- (1) राज्य बोर्ड समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरण और राज्य पशुपालन विभाग को ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह इन नियमों की अनुपालना को सुकर बनाने के लिए ठीक समझे।

(2) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति और पशु बाजार समिति राज्य बोर्ड को बाजार के क्रियाशील होने के संबंध में सभी अभिलेख और सूचना, जब कभी उसकी अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगी और राज्य बोर्ड ऐसे अतिरिक्त अभिलेख और सूचना मांग सकेगा जो वह ठीक समझे।

11. राज्य बोर्ड इत्यादि की निरीक्षण और अभिग्रहण प्राधिकृत करने की शक्ति -- इन नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए राज्य बोर्ड, स्थानीय प्राधिकरण, जिला पशु बाजार मानीटरी समिति या राज्य पशुपालन विभाग अपने किसी अधिकारी को किसी भी पशु बाजार का निरीक्षण करने और, यथास्थिति, राज्य बोर्ड या स्थानीय प्राधिकरण या जिला पशु बाजार मानीटरी समिति या राज्य पशुपालन विभाग को ऐसे निरीक्षण के परिणाम की रिपोर्ट करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगी तथा इस प्रकार प्राधिकृत कोई भी अधिकारी या व्यक्ति-

(क) पशु बाजार के निरीक्षण के लिए युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा ;

(ख) किसी भी व्यक्ति से उक्त बाजार की बाबत उसके द्वारा रखे गए किसी भी अभिलेख को पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी पशु को अभिगृहीत कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि पशुओं के साथ क्रूरता का वर्ताव किया गया है और इस प्रकार अभिगृहीत पशुओं को स्थानीय एसपीसीए या बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पशु कल्याण संगठन की अभिरक्षा में रखा जाएगा ;

(घ) पशुओं की क्रूरता के फोटो चित्रात्मक और वीडियो रूप में सबूत ले सकेगा।

12. पशु बाजारों में पशु चिकित्सा निरीक्षक, आदि- (1) प्रत्येक पशु बाजार में पर्याप्त संख्या में जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा प्राधिकृत पशु चिकित्सा निरीक्षक और पशु चिकित्सकों की सहायता के लिए पैरा पशु चिकित्सा कर्मचारी होंगे।

(2) पशु चिकित्सा निरीक्षक बाजार में प्रवेश करने से पहले पशुओं के मुख्य लक्षणों को देखकर संदेहास्पद सांसर्गिक और संक्रामक रोगों जैसे पैर और मुंह के रोग, कनार, हुबक, पेस्टे डेस पेटिटस, रिंडर पेस्ट (चेचक) आदि के लिए जांच करेगा और संदेहास्पद पशुओं को बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और उनका समीपतम पशु चिकित्सालय में उपचार किया जाएगा या उन्हें आवश्यक उपचार और देखरेख के लिए वापस भेज दिया जाएगा।

(3) पशु चिकित्सा निरीक्षक बाजार में पशुओं की उतराई और पहुंच को पर्यवेक्षित करेगा और उनके पहुंचने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र सभी पशुओं का निरीक्षण करेगा और ऐसे किन्हीं पशुओं के साथ समुचित व्यवहार करेगा, जो रुग्ण, बीमार या आहत हैं।

(4) पशु चिकित्सा निरीक्षक उसके समक्ष पेश किए गए परिवहन प्रलेखीकरण के विरुद्ध लदाई की अपेक्षित जांच करेगा।

(5) पशु चिकित्सा निरीक्षक ऐसे किन्हीं पशुओं का, पशु बाजार में पार्थक्य प्रसुविधाओं में उपचार करेगा या उपचार का पर्यवेक्षण करेगा जो रुग्ण, बीमार या आहत हैं।

(6) पशु चिकित्सा निरीक्षक पशु बाजार में सभी पशुओं की संभाल को मानीटर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पशुओं के संभाल समस्त समय पर दयालुता के साथ की जाती है।

(7) पशु चिकित्सा निरीक्षक पशु बाजार से पशुओं की लदाई का पर्यवेक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सभी पशु आशयित यात्रा के लिए योग्य हैं और उन्हें आवश्यक पशु चिकित्सा प्रमाणीकरण उपलब्ध कराएगा और ऊंटों को यानों में तब तक नहीं लादा जा सकेगा, जब तक, यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलक्टर से कोई लिखित अनुज्ञा नहीं हो।

(8) पशु चिकित्सा निरीक्षक सभी निरीक्षित और उपचारित पशुओं के, जारी किए गए पशु चिकित्सा प्रमाणीकरणों की संख्या का, परिवहन के लिए अयोग्य पाए गए पशुओं की संख्या का और जब कोई पशु परिवहन के लिए अयोग्य पाया गया था तो क्या कार्रवाई की गई थी इसका, अभिलेख रखेगा।

(9) पशु चिकित्सा निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पशुओं की, जिनको अपूर्णनीय गुरुतर क्षति हो गई है या जो अन्त्य रूप से रुग्ण हैं और जिन्हें यानों पर नहीं लादा जा सकता, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना देना होगा, आपात सहजमृत्यु के लिए व्यवस्था बाजार में उपलब्ध है और स्वाभाविक रूप से मरे पशुओं सहित सभी पशुओं की लाशों को भस्म कर दिया जाएगा और उनको चमड़े के लिए बेचा नहीं जाएगा या उनका चमड़ा नहीं उतारा जाएगा।

(10) जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा प्राधिकृत पशु चिकित्सा निरीक्षक ऐसे पशुओं को, जो विक्रय के अयोग्य हैं, क्रय-विक्रय को रोकने के लिए चिह्नित करेंगे।

(11) पशु चिकित्सा निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि पशुओं का परिवहन केवल ऐसे यानों में ही किया जाता है, जो पशु ले जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि में प्राधिकृत हैं और उनका अति लदान नहीं किया जाता है या यानों में उनको नाक से नहीं बांधा जाता है या किसी ऐसी अन्य रीति में उनको नहीं लादा जाता है, जिससे उनको क्षति हो जाए।

13. अयोग्य पशु या जन्म देने के संभाव्य पशु-- (1) कोई भी व्यक्ति किसी अयोग्य पशु को पशु बाजार में बेचे जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) कोई भी व्यक्ति किसी पशु को पशु बाजार में विक्रय के लिए प्रस्तावित या प्रदर्शित किए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा, यदि उसका, वहां रहते हुए या उसके परिवहन के दौरान, जन्म दिया जाना संभाव्य है।

14. ऐसे प्रतिषिद्ध आचरण, जो क्रूर और अपहानिकर हैं- निम्नलिखित क्रूर और अपहानिकर आचरण प्रतिषिद्ध होंगे, अर्थात् :-

(क) पशु पहचान पद्धतियां, जैसे तप्त छापा और शीत छापा ;

(ख) सींगों की कतरन और रंग-रोगन, घोड़ा की विशर्पिंग और भैंस के कान काटना ;

(ग) यथोचित शय्या के बिना (नालबंदी के दौरान) पशु को कठोर सतह पर गिराना ;

(घ) पशुओं के शरीर के अंगों पर किन्हीं रसायनों और रंगों का प्रयोग ;

(ङ) किसी सामग्री का प्रयोग करके थन की चूंची को बंद करना, जैसे बछड़े को दूध पीने से रोकने के लिए चिपकने वाला टेप ;

(च) उपचार के प्रयोजन के लिए किसी पशु चिकित्सक से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा कोई भी तरल या द्रव बलपूर्वक पिलाना, स्टेराइड या ड्यूरेटिक्स या एंटी बायोटिक्स का प्रयोग करना ;

(छ) पशु पर कोई भी अप्राकृतिक कार्य करने के लिए बल प्रयोग करना, जैसे नृत्य ;

(ज) पशु को कोई आभूषण या सजावटी सामग्री पहनाना ;

(झ) पशु को दूध पीने या खाना खाने से रोकने के लिए किसी भी प्रकार के छीका का प्रयोग करना ;

- (ज) दुधारु पशुओं को आक्सीटोसीन का इंजेक्शन देना ;
- (ट) नीम-हकीम/पारंपरिक चिकित्सकों द्वारा पशुओं का बधियाकरण ;
- (ठ) पशु चिकित्सक से भिन्न किसी के द्वारा पहचान प्रयोजनों के लिए चाकू से या तप्त लौह चिह्नांकन द्वारा नाक छेदना या कान काटना ;
- (ड) नीम-हकीमों द्वारा घोड़ों का बधियाकरण ;
- (ढ) लिंग के चारो ओर रस्सी बांधना ;
- (ण) खाद्य द्रोणिका के रूप में नाक पर थैले बांधना ।

15. क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना से पशुओं का संरक्षण- (1) कोई भी व्यक्ति पशु बाजार में किसी पशु को किसी क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना नहीं देने देगा या उसके लिए अनुज्ञात नहीं करेगा ।

(2) पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु को निम्नलिखित कारण से क्षति या अनावश्यक पीड़ा या यातना कारित नहीं की जाए या कारित किया जाना संभाव्य न हो-

- (क) पशु को मौसम में अरक्षित छोड़ना ;
- (ख) पशु के लिए उपलब्ध होने वाला संवातन अपर्याप्त होना ;
- (ग) पशु को किसी उपकरण या अन्य चीज से मारना या कोंचना ; नाथ या नकेल या लगाम को खींचना, झटकना और झकझोरना, जिससे अपार पीड़ा और यातना कारित हो या कोई अन्य कारण ;
- (घ) अयुक्तियुक्त अवधि के लिए छोटी रस्सी पर खूंटे से बांधा ;
- (ङ) प्यासा और भूखा रखना ।

16. पशुओं की संभाल करना और बांधना-- (1) कोई भी व्यक्ति पशु बाजार में किसी भी पशु के साथ निम्नलिखित नहीं करेगा,-

- (क) भारतोलन प्रयोजन के लिए, कुक्कुट से भिन्न, भूमि से ऊपर उठाना ;
- (ख) भूमि के साथ-साथ घसीटना ;
- (ग) भूमि से अलग करके उसको टांगना ;
- (घ) सिर, गर्दन, कान, सींग, टांग, पैर, पूंछ, ऊन या पंख से पकड़ना ;

(2) कोई भी व्यक्ति,-

- (क) किसी पछड़े को नहीं बांधेगा या उसे छींका नहीं लगाएगा ;
- (ख) किसी पशु को आगे की दोनों टांगों से और पांशों को इस प्रकार खूंटे से नहीं बांधेगा कि उससे पशु को एक कदम आगे या पीछे करने से रोक दे जिससे उसे लंबे समय तक एक ही स्थान पर खड़े होने की असुविधा से आराम मिल सके ;
- (ग) किसी पशु को सिर या गर्दन से दोनों तरफ से नहीं बांधेगा, जिससे पशु को किसी भी दिशा में अपना सिर और गर्दन हिलाने से या अपनी स्वयं की आवश्यकताएं पूरी करने, जैसे मक्खियां उड़ाना या अपने शरीर के अंगों को चाटना, से रोक दिया जाए ;
- (घ) एक ही रस्सी का प्रयोग करके एक से अधिक पशुओं को बांधना ;
- (ङ.) पशुओं को खूंटे से लगाने या बांधने के लिए खरोंचदार या नुकीली सामग्री का प्रयोग, जिससे क्षतियां हो जाएं ;
- (च) किसी भी कुक्कुट को गर्दन, टांग या पंख से बांधना या कुक्कुट को उलटा लटकाकर ले जाना ।

17. पशुओं का नियंत्रण-- (1) कोई भी व्यक्ति किसी भी पशु बाजार में किसी भी पशु को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक बल का प्रयोग नहीं करेगा, जिसके अंतर्गत पूंछ को मरोड़ना, कान या थूथन को मरोड़ना, डंडे, पैना या अन्य उपकरण से प्रहार नहीं करेगा, आंखों या नकेल में लाल मिर्ची या अन्य द्रव नहीं लगाएगा ।

(2) कोई व्यक्ति किसी भी पशु को ऐसी भूमि या फर्श के ऊपर नहीं चलाएगा या नहीं ले जाएगा, जिसकी प्रकृति या स्थिति ऐसी हो कि पशु का फिसलना या गिर जाना संभाव्य हो ।

18. पशुओं को बाड़े या पिंजरे में बंद करना -(1) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि किसी पशु को ऐसे बाड़े में या पिंजरे में या अन्य आहाते में नहीं रखा गया है, जो उस पशु के आकार और प्रजाति के अनुपयुक्त है ।

(2) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि,-

(क) कोई ऐसा बाड़ा, जिसमें किसी ब्याने या सुअर को रखा जाता है, उसमें रखे गए सभी ब्यानों और सुअरों को लेटने, खड़े होने और घूमने तथा उसी समय सामान्य अंग स्थितिक समायोजन करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त आकार का है ;

(ख) कोई ऐसा बाड़ा या आहाता, जिसमें किसी कुक्कुट को रखा जाता है-

(i) ऐसे डिजाइन का है, जिससे कुक्कुट का खड़ा होने, लेटने, पंख फैलाने, घूमने और उसकी नैसर्गिक स्थिति में सामान्य अंग स्थितिक समायोजन करने में समर्थ हो सके ;

(ii) उसमें ऐसा द्वार है, जो कुक्कुट को पिंजरे या आहाते में रखने, निकालने में कोई कष्ट दिए बिना, क्षति कारित किए बिना या अनावश्यक पीड़ा या यातना के बिना समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त आकार का है ;

(3) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार के भीतर,-

(क) जब पशुओं को बाड़े में बंद किया गया है,-

(i) एक प्रजाति के पशु, दूसरी प्रजाति के पशुओं से पृथक् बाड़े में रखे गए हैं ;

(ii) उन्हें आयु और आकार में भिन्नता को ध्यान में रखते हुए बाड़ों में वितरित किया गया है, जिससे उन्हें अनावश्यक पीड़ा या यातना से बचाया जा सके ;

(iii) किसी उदंड पशु को अन्य पशुओं से पृथक् बाड़े, पिंजरे या आहाते में रखा गया है ;

(iv) उन्हें ऐसे बाड़ों, पिंजरों या आहातों में नहीं रखा गया है जो भीड़ भाड़ वाले हैं ;

(ख) पशुओं को-

(i) बाजार से निकल भागने से ;

(ii) बाजार में किसी भी उग्र या उदंड पशु के संपर्क में आने से, रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

(ग) किसी सांड को किसी अन्य पशु के लिए उसी अविभाजित बाड़े में निम्नलिखित के सिवाय नहीं रखा गया है-

(i) सांडों को उसी अविभाजित बाड़े में एक साथ रखा जा सकता है, यदि वे सभी सिर और गर्दन से सुरक्षित हैं ; या

(ii) ऐसे सांडों को, जिनको एक साथ पाला गया है, उसी अविभाजित बाड़े में रखा जा सकता है । (सिर या गर्दन से सुरक्षित किए बिना) ।

(घ) छह मास से अधिक की आयु के किसी शूकर को उसी अविभाजित बाड़े में नहीं रखा गया है जिसमें अन्य पशुओं को रखा गया है ; और

(ङ) पशुओं और अल्पवय पशुओं को, उस स्थिति के सिवाय, जिसमें वे पशुओं के उसी समूह से उत्पन्न हुए हैं, उसी अविभाजित बाड़े में नहीं रखा गया है, जिसमें अन्य पशुओं को रखा गया है और वे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य स्थिति के हैं ।

19. पशुओं को खाना और पानी देना- (1) पशुओं के प्रभारी व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में पशु के लिए, जितनी बार भी आवश्यकता हो, प्यास के कष्ट से निवारित करने के लिए स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा की व्यवस्था की गई है ।

(2) पशु बाजार समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पशु बाजार में पशु खाद्य सामग्री विनिर्दिष्ट कीमत पर बेची गई है ।

(3) किसी ऐसे पशु के, जिसे पशु बाजार में एक दिन से आगे के लिए रखा गया है, स्वामी (या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता) का यह कर्तव्य होगा कि -

(क) उस दिन के रात्रि नौ बजे से पहले, जिसको पशु बाजार में पहुंचता है या यदि वह बाजार में रात्रि नौ बजे पहुंचता है तो उसके वहां पहुंचने पर तुरंत ; और

(ख) उसके पश्चात् प्रत्येक छह घंटे की संपूर्ण अवधि में कम से कम एक बार (उसके बाजार में पहुंचने के दिन रात्रि नौ बजे से संगणित), जिसके दौरान पशु को बाजार में रखा जाता है,

पशु के लिए स्वास्थ्यप्रद खाद्य और स्वास्थ्यप्रद जल की यथोचित मात्रा की व्यवस्था की गई है ।

20. प्रकाश और शय्या की व्यवस्था- (1) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव और किसी पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी होने के समय किसी अन्य व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बाजार में पशु का निरीक्षण करने और उसे खाद्य और जल देने में समर्थ बनाने के लिए यथोचित प्रकाश उपलब्ध है।

(2) पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव और किसी पशु बाजार में किसी पशु के प्रभारी होने के समय किसी अन्य व्यक्ति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशुओं के लिए उपयुक्त शय्या के यथोचित प्रदाय की व्यवस्था की गई है।

21. छतदार आवास- पशु बाजार समिति के सदस्य सचिव का पशुओं के लिए पशु बाजार में छतदार आवास उपलब्ध कराने का कर्तव्य होगा।

22. मवेशी के विक्रय पर निर्बंधन- पशु बाजार समिति का सदस्य सचिव यह सुनिश्चित करेगा कि-

(क) कोई व्यक्ति किसी अल्पवय पशु को पशु बाजार में नहीं लाएगा ;

(ख) कोई व्यक्ति किसी मवेशी को पशु बाजार में तब तक नहीं लाएगा, जब तक उसने पहुंचने पर मवेशी के स्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा -

(i) मवेशी के स्वामी का नाम और पता बताते हुए ; फोटो पहचान सबूत की एक प्रति के साथ ;

(ii) मवेशी के पहचान के ब्यौरे देते हुए ;

(iii) यह कथन करते हुए कि मवेशी को बाजार में वध हेतु विक्रय के लिए नहीं लाया गया है,

हस्ताक्षरित लिखित घोषणा नहीं दे दी हो।

(ग) पशु बाजार समिति को दी गई प्रत्येक घोषणा को उस तारीख से, जिसको यह उनको दी गई है, छह मास की अवधि के लिए रखा जाएगा और पशु बाजार समिति उस अवधि के दौरान किसी भी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षक द्वारा की गई मांग पर ऐसी घोषणा पेश करेगी तथा उसकी या उसके उद्धरण की एक प्रति लेने के लिए अनुज्ञात करेगी ;

(घ) जहां किसी पशु को बेचा गया है और उसके बाजार से ले जाने से पहले पशु बाजार समिति-

(i) प्रत्येक पशु के लिए उपगत, जिला पशु बाजार मानीटरी समिति द्वारा यथा अनुमोदित खर्चे अभिप्राप्त करेगी, जिससे पशुओं और जनता को आधारभूत प्रसुविधाएं प्रदान की जा सकें ;

(ii) यह वचनबंध लेगी कि पशु को कृषि प्रयोजनों के लिए लाया गया है और वध के लिए नहीं लाया गया है ;

(iii) क्रेता के नाम और पते का अभिलेख रखेगी और उसका पहचान सबूत उपाप्त करेगी ;

(iv) सुसंगत राजस्व दस्तावेज को देखकर यह सत्यापित करेगी कि क्रेता एक कृषक है ;

(v) यह सुनिश्चित करेगी कि पशु के क्रेता ने यह घोषणा की है कि वह पशु को क्रय किए जाने की तारीख से छह मास तक नहीं बेचेगा और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पशुओं के परिवहन से संबंधित नियमों का पालन करेगा ;

(vi) ऐसे अभिलेख को विक्रय की तारीख से छह मास की अवधि के लिए रखेगा ;

(vii) ऐसे अभिलेख को उस अवधि के दौरान किसी भी युक्तियुक्त समय पर निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर उसके समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसकी या उसके उद्धरण की प्रति लेने के लिए अनुज्ञात करेगा।

(ङ.) मवेशी का क्रेता-

(i) पशु को वध के प्रयोजन के लिए नहीं बेचेगा ;

(ii) राज्य मवेशी संरक्षण या परिरक्षण विधियों का अनुसरण करेगा ;

(iii) किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए पशु की बलि नहीं देगा ;

(iv) राज्य मवेशी संरक्षण या परिरक्षण विधियों के अनुसार अनुज्ञा के बिना राज्य के बाहर किसी व्यक्ति को मवेशी नहीं बेचेगा।

(च) जहां किसी मवेशी को बेचा जाता है, उसके बाजार से ले जाने से पहले विक्रय का सबूत पांच प्रतियों में जारी किया जाएगा, जिसमें से पहली प्रति क्रेता को, दूसरी प्रति विक्रेता को, तीसरी प्रति क्रेता के निवास के तहसीलदार कार्यालय को, चौथी प्रति क्रेता के जिला में मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी को सौंपी जाएगी और अंतिम प्रति पशु बाजार समिति द्वारा अभिलेख में अविकल रखी जाएगी।

23. पशु बाजार समिति के अतिरिक्त कर्तव्य- पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि पशु बाजार में गुजरने के सभी रास्तों को और ऐसे सभी बाड़ों को, जिनमें पशुओं को रखा जाता है-

(क) (i) ऐसी रीति में संनिर्मित और अनुरक्षित किया गया है, जिससे पशुओं को कोई क्षति कारित होना या अनावश्यक पीड़ा या यातना होना संभाव्य नहीं हो ;

(ii) उसमें कोई ऐसे नुकिले या बाहर निकले हुए भाग नहीं हैं, जिससे पशु का संपर्क हो सके ;

(ख) पशु बाजार में पशुओं के लिए स्वास्थ्यप्रद जल का यथोचित प्रदाय उपलब्ध है ;

(ग) पशु बाजार में पशुओं को जल पिलाने के लिए द्रोणिका, बाल्टियां, पानी पीने के पात्र या पानी पीने के अन्य साधनों के रूप में यथोचित प्रसुविधाएं हैं ; और

(घ) पशु बाजार में छतदार आवास, जिसमें पशुओं को रखा जाता है, यथोचित रूप से संवातित होंगे ;

(ड.) पशु बाजार में क्रय-विक्रय के लिए लाए गए विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की संख्या का अलग से समुचित अभिलेख रखा जाता है ।

24. अयोग्य पशुओं के लिए आवास- पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि-

(क) ऐसे उपयुक्त बाड़े उपलब्ध हैं, जिनमें किन्हीं अयोग्य पशुओं को अन्य पशुओं से अलग रखा जा सके ; और

(ख) ऐसा कोई भी बाड़ा, जिसमें अयोग्य पशु को रखा गया है, स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है, जिससे यह दर्शित किया जा सके कि उसका प्रयोग इस प्रयोजन के लिए किया गया है और यह कि बाड़े में प्रवेश किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के प्राधिकार के अधीन दिए जाने तक प्रतिषिद्ध है ;

25. अयोग्य पशुओं का निरोध और उपचार- (1) जहां किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि बाजार में कोई पशु अयोग्य है, तो वह अयोग्य पशुओं के आवास के लिए पशु बाजार में उपलब्ध किसी बाड़े में या बाजार में किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर उसे भेज सकेगा या भिजवा सकेगा और पशु बाजार समिति से ऐसे पशु को किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा उसकी परीक्षा किए जाने के लंबित रहने तक वहां निरुद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) जहां किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक की यह राय है कि पशु बाजार में कोई भी पशु अयोग्य है, तो वह उसका उपचार कर सकेगा, उपचार करवा सकेगा और ऐसे अन्य कदम उठा सकेगा या उठवा सकेगा जो वह उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे और वह किसी ऐसे प्रयोजन के लिए पशु बाजार समिति से किसी पशु को इतने समय तक के लिए किसी बाड़े में निरुद्ध करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आगे और उपचार के प्रयोजन के लिए या उसे अनावश्यक पीड़ा या यातना से अन्यथा संरक्षित करने के लिए आवश्यक समझे ।

(3) जहां किसी पशु को इस नियम के अधीन निरुद्ध किया गया है, वहां कोई भी व्यक्ति किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक के अनुमोदन के सिवाय और ऐसी शर्तों के अनुसार ले जाने के सिवाय, जिनके अध्यक्षीन अनुमोदन किया गया है, उसे उसके निरोध के स्थान से नहीं ले जाएगा ।

(4) पशु बाजार समिति-

(i) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक को ऐसी सहायता देगी जो वह इन नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे ;

(ii) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक को ऐसी सूचना देगी, जो वह किसी ऐसे पशु के स्वामित्व के बारे में रखती है, जिसकी बाबत ऐसी शक्ति का प्रयोग किया गया है ।

(5) किसी पशु चिकित्सा निरीक्षक द्वारा किसी अयोग्य पशु के उपचार करने में या उपचार कराए जाने में इन अधिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपगत खर्चों को पशु के स्वामी द्वारा वहन किया जाएगा ।

26. पशुओं का चिह्नांकन - पशु चिकित्सा निरीक्षक किसी पशु को चिह्नांकित कर सकेगा या चिह्नांकित करवा सकेगा, जिसके अंतर्गत कर्ण टैग द्वारा भी हैं किन्तु तप्त छापा, शीत छापा और अन्य क्षतिकर चिह्नांकन प्रतिषिद्ध होंगे ।

27. ढलवां रास्ते- जहां इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात् किसी भी समय पशु बाजार के रूप में उपयोग किए जाने के लिए किसी परिसर का संनिर्माण किया जाता है, वहां पशु बाजार समिति का उस पशु बाजार के लिए यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि बाजार में मवेशी, भेड़, बकरी, घोड़े, टट्टू, गधे, खच्चर, ऊंट और सुअरों को यान में लादने या उससे उतारने के प्रयोजन के लिए प्रसुविधाएं उपलब्ध हैं और यह कि उन प्रसुविधाओं में स्थायी ढलवां रास्ते और अन्य प्रसुविधाएं हैं, जो उस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और यथा विनिर्दिष्ट ऊंचाई और डिजाइन के हैं ; तथा पशु बाजार समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि कोई भी स्थायी ढलवां रास्ता या अन्य ऐसी प्रसुविधाओं में, जो इस प्रकार उपलब्ध कराई गई हैं, साइड रेलिंग फिट की हुई हैं (या संरक्षण का कोई अन्य साधन) तथा उसे इस प्रकार डिजाइन और संनिर्मित किया गया है, जिससे ऐसे पशुओं को वहां से गिरने से रोका जा सके ।

[फा.सं.1/1/2016-एडब्ल्यूडी]

रवि शंकर प्रसाद, संयुक्त सचिव